न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

तारीख रजू:—27.5.2024

मु0नं0:— 07 / 2024

जी.सी.एम.एस. नं0:— 2024 / 40

पीठासीन अधिकारी :—दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. रामश्रवण पुत्र काना जाति मीना निवासी चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर (राज.)
2. गोपाल पुत्र काना जाति मीना निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर(राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर।

—अप्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

उपस्थित::—

वकील प्रार्थीगण :—श्री सुधीर कुमार जैन एडवोकेट

अप्रार्थी :— पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक:—20.08.2025

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट</u>

1. प्रकरण में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि—

❖ प्रार्थीगण ढाणी हस्तगंज ग्राम चौथ का बरवाड़ा वार्ड न 23 के मूल निवासी है तथा पेशा काश्तकार है। प्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है क्योंकि मीना जाति राजस्थान राज्य की अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आती है। प्रार्थीगण की माता मंगली का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या नया 667 के खसरा नं. 2840 रकबा 2. 1800 हैक्टेयर, खसरा नं. 2922 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, खसरा न 2923 रकबा 0.1300 हैक्टेयर खसरा नं 2932 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, खसरा नं 2933 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा न 2942 / 4878 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नं 3152 रकबा 3.2500 हैक्टेयर कुल खसरे 7 कुल रकबा 6.2900 हैक्टेयर ग्राम चौथ का बरवाड़ा पटवार हल्का चौथ का बरवाड़ा बी में स्थित है।

❖ प्रार्थी सख्या 1 का वास्तविक नाम राम[illegible] परन्तु प्यार से गाँव के सभी लोग श्रवण के नाम से [illegible] गाँव के लोगों से पूछताछ की तो उसके अनुसार नामान्तकरण विरासत [illegible] दिया है और उस नामा[illegible] के अनुसार रेवेन्यू रिकार्ड में रामश्रवण के स्थान पर श्रवण दर्ज हो गया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.12 15:08:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

Scanned with OKEN Scanner

रिकार्ड अभी भी चला आ रहा है। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है

- प्रार्थी संख्या 1 का वास्तविक नाम रामश्रवण है इस सम्बन्ध में आधार कार्ड की प्रमाणित फोटोकॉपी, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रमाणित फोटोकॉपी, मनरेगा स्कीम राजस्थान से जारी जॉब कार्ड की प्रमाणित फोटोकॉपी तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटोकॉपी अवलोकनार्थ प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

- जमाबन्दी रेवेन्यू रिकार्ड में गलत इन्द्राज अर्थात रामश्रवण के स्थान पर श्रवण दर्ज होने से फसल बीमा, के.सी.सी लोन एवं खाद बीज आदि खरीदनें में दिक्कत एवं परेशानी का सामना करना पडता है। अभी हाल ही में बैंक से लोन लेने में बहुत दिक्कतें आई एवं शपथपत्र, पहचान पत्र और कई औपचारिकताएँ पूर्ण करनी पडी है।

- अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि जमाबन्दी रेवेन्यू रिकार्ड खाता सख्या 667 में काश्तकार के नाम में क्र.सं. 3 पर श्रवण के स्थान पर रामश्रवण पुत्र काना हिस्सा 3/7 जाति मीना सा देह खातेदार दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को दिया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे। कृपा होगी।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थी जारी किये गये।

3. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा ने उनवानी प्रकरण में अपने पत्रांक भू0अ0/2025/831 दिनांक 08.05.2025 द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाई है, जो निम्नानुसार है–

   - ग्राम चौथ का बरवाडा पटवार मण्डल चौथ का बरवाडा बी के खाता संख्या 667 में कुल किता 7 रकबा 6.29 है0 वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार गोपाल पुत्र काना हि0 3/7, मंगली पत्नि स्व0 काना हि. 1/7, श्रवण पुत्र काना हि. 3/7 जाति मीना सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज है।
   - प्रार्थीगण संख्या 01 का राजस्व रिकार्ड में श्रवण पुत्र काना जाति मीना दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, पहचान पुत्र में श्रवण पुत्र काना उर्फ कानाराम दर्ज है। ग्रामीणों से जानकारी करने पर रामश्रवण व श्रवण पुत्र काना एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति ग्राम में नहीं हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.12 15:08:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाडा (स0 मा0)

Scanned with OKEN Scanner

- ग्राम चौथ का बरवाडा के खाता संख्या 667 कुल किता 7 कुल रकबा 6.29 है0 में श्रवण पुत्र काना के बजाय रामश्रवण पुत्र काना किये जाने की अभिशंषा की गई है।

4. बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया।

5. मैने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

6. स्थायी जमाबंदी दिनांक 10.05.2024 ग्राम तहसील चौथ का बरवाड़ा में के खाता संख्या 667 में प्रार्थी का नाम श्रवण पुत्र काना मीना दर्ज है, जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा का नाम शुद्धि प्रमाण, राशन कार्ड, जन–आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा स्कीम राजस्थान से जारी जॉब कार्ड की छायाप्रति, विधुत बिल मूल में प्रार्थी का नाम रामश्रणव पुत्र पुत्र काना मीना होने की पुष्टि होती है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट में भी उपरोक्त शुद्धी करने की अभिशंषा की गई है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का नाम श्रवण पुत्र काना के स्थान पर रामश्रवण पुत्र काना मीना शुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे ग्राम चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा की स्थायी जमाबंदी के खाता संख्या 667 ग्राम व तहसील चौथ का बरवाड़ा में प्रार्थी का नाम श्रवण पुत्र काना के स्थान पर रामश्रवण पुत्र काना मीना दर्ज करें। निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.12 15:08:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner